भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2018/ईएनएचएम/08/02 **नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2020**

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें

विषय : कोरोना संक्रमित/संदिग्ध यात्रियों द्वारा यात्रा करने पर सवारीडिब्बों की सफाई और सेनिटाइजेशन ।

गाड़ियों में टर्मिनलों पर और रास्ते में कोरोना संक्रमित/संदिग्ध यात्रियों द्वारा यात्रा करने के कुछ मामलों का पता चला है। कोरोना संक्रमित/ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा सवारीडिब्बों में यात्रा किए जाने पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।

क. अगले एनरूट अटेंशन स्टेशन पर की जाने वाली कार्रवाईः

1. यात्रियों को गाड़ी से उतारकर सवारीडिब्बे को कीटाणुशोधन (disinfection)/ सेनिटाइजेशन हेतु खाली करवाया जाए। प्राथमिक रखरखाव के अंतर्गत सवारीडिब्बों की आंतरिक सफाई हेतु निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए। इसके अतिरिक्त, प्रवेश द्वार हैंड रेलों, दरवाजों एवं दरवाजों के हैंडलों की भी अच्छी तरह सफाई की जाए। इसके पश्चात संपर्क में आने वाले स्थानों/ फिटिंग जैसे दरवाजों के हैंडलों, शौचालय के दरवाजों के हैंडल और कुण्डी, शौचालय के नलों, पानी के नलों, हैंड रेलों, स्विचों आदि के कीटाणुशोधन सहित कोच का सोडियम हाइपोक्लोराइट (1%) से कीटाणुशोधन किया जाना चाहिए।
2. शौचालयों की लंबे हैंडल वाले कोणीय ब्रश द्वारा साबुन के घोल से सफाई की जाए और उसके पश्चात सोडियम हाइपोक्लोराइट (1%) से कीटाणुशोधन किया जाना चाहिए।
3. रेक्सीन कवर वाली सीटों को साबुन से साफ करने के पश्चात सोडियम हाइपोक्लोराइट (1%) से कीटाणुशोधन किया जाना चाहिए।
4. इन गतिविधियों के लिए मार्ग में उपयुक्त स्टेशन तैयार किए जाने चाहिए।
5. एसी स्लीपर सवारीडिब्बों के मामले में, उस केबिन के सह-यात्रियों को बदला हुआ स्वच्छ लिनेन मुहैया कराया जाये और उनके द्वारा प्रयोग किए गए लिनेन को अलग पैकेट में रखा जाये।

टर्मिनेटिंग स्टेशनों पर निम्न ख के अनुसार कार्रवाई की जाए।

ख. टर्मिनेटिंग स्टेशन पर की जाने वाली कार्रवाईः

1. 'ए' शेड्यूल ('A' Schedule) के अनुसार सवारीडिब्बों के भीतर गहन सफाई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रवेश द्वार हैंड रेलों, दरवाजों एवं दरवाजों के हैंडलों की भी अच्छी तरह सफाई की जानी चाहिए। इसके पश्चात संपर्क में आने वाले स्थानों/ फिटिंग्स जैसे दरवाजों के हैंडलों, शौचालयों के दरवाजों के हैंडल और कुण्डी, शौचालयों के नलों, पानी के नलों, हैंड रेलों, स्विचों आदि के कीटाणुशोधन सहित कोच का सोडियम हाइपोक्लोराइट (1%) से कीटाणुशोधन किया जाना चाहिए।

2. एसी फिल्टरों को अच्छी तरह साफ किया जाए। संपूर्ण लिनेन को 24 घंटों के लिए अलग रखा जाए और उनकी अलग से धुलाई की जाए।

3. संदिग्ध यात्रियों के संपर्क में आने वाले ऑनबोर्ड कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया जाए और चिकित्सा प्राधिकारियों की सलाह अनुसार निगरानी में रखा जाए।

4. गहन (intensive) सफाई सुविधाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में, सवारी डिब्बे को अलग करके, तालाबंदी की जाए तथा प्रवेश द्वार हैंड रेलों, दरवाजों और दरवाजों के हैंडलों की सफाई के पश्चात इस सुविधा वाले नजदीकी स्टेशन को भेज दिया जाए।

ग. इसके अतिरिक्त, रेलों के पीसीएमडी तथा स्थानीय/सिविल प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अन्य अनुदेशों का भी अनुपालन किया जाए।

(शिवेन्द्र मोहन)
कार्यपालक निदेशक
ईएनएचएम / एमई

प्रतिलिपि प्रेषितः प्रबंध निदेशक/केआरसीएल